सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, बिहार

प्रेस विज्ञप्ति

संख्या– 593
09/08/2017

अंचलाधिकारी को लगा आर्थिक दण्ड

पटना–09 अगस्त, 2017 :– राज्य सूचना आयोग से प्राप्त जानकारी के अनुसार राज्य सूचना आयुक्त श्री बी0के0 वर्मा ने वाद सं0–91298/13–14 एवं वाद सं0–91297/13–14 में लोक सूचना पदाधिकारी–सह–अंचलाधिकारी, जगदीशपुर, भागलपुर को 15000–15000रु0 का आर्थिक दण्ड लगाने का निर्णय लिया है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार राज्य सूचना आयुक्त ने आवेदक श्री झिगरू सिंह द्वारा मांगे गए दो मामले में ससमय सूचना नहीं देने तथा आयोग द्वारा दिए गए निदेश का अनुपालन नहीं करने के एवज में क्रमशः दोनों मामले में पन्द्रह–पन्द्रह हजार रूपये का आर्थिक दण्ड अधिरोपित किया है। साथ ही लगाए गए दण्ड की राशि की कटौती हेतु जिला पदाधिकारी/कोषागार पदाधिकारी, भागलपुर को आदेश की प्रति भेजते हुए यह निदेश दिया है कि दण्ड की राशि की कटौती कर इस आशय की सूचना से आयोग को भी अवगत कराया जाय।

ज्ञातव्य है उक्त दोनों मामले की अगली सुनवाई दिनांक 15 दिसम्बर, 2017 को आयोग कार्यालय में साढ़े दस बजे पूर्वाह्न होगी।

******